फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राज0 सरकार बनाम औंकारमल गुप्ता वगै0

किस्म मुकदमा धारा 177 आर.टी.एक्ट मुकदमा न0 65/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादी ~~आनन्दे~~ औंकारमल गुप्ता की ओर से जरिये अधिवक्ता शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी.सी. पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना गया। उनका कथन है कि प्रार्थी को मौजुदा वाद की विधिवत तामील करवाये बिना दिनांक 20.12.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई, जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 05.05.22 को नगरपालिका से प्राप्त हुई। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादी औंकारमल का प्रार्थनापत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी खातेदार भूमि को अकृषि उपयोग में लेने को स्वीकार करते है तथा विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवाना चाहते है। वादी भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ़ की ओर से मौजुदा वाद विधिवत रूप से पेश नहीं किया गया है। फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित है कि खातेदारान द्वारा कृषि भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। जिस पर वादी तहसीलदार की ओर से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारान को बेदखल करने व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र पेश करने से पूर्व तहसीलदार की ओर से खातेदारान को किसी प्रकार की मौखिक अथवा लिखित हिदायत नहीं दी गई। इसलिए वादी को कभी कारण वाद पैदा ही नहीं हुआ इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जाकर विधिवत रूपान्तरण की कार्यवाही करवाये जाने का अवसर प्रदान करें। बहस पर मनन किया गया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	